न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला

पीठासीन अधिकारी : – पूरण कुमार शर्मा, आर.जे.एस. (DJ Cadre)

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या : –201/2026

CNR No-RJJR01-000595-2026

सराफन उर्फ सरफराज पुत्र साबुदीन, जरिए विधिक संरक्षक दादा गेफू खान पुत्र चांद खां, निवासी–लहारो का बास, पंचायत के पास, ओसियां, जिला जोधपुर

–––––**प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

अप्रार्थी : राजस्थान राज्य

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 74, 324(5), 308(2), 189(2)
भारतीय न्याय संहिता
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 130/2026, पुलिस थाना–ओसियां

उपस्थिति :–

1. श्री मेहबूब खान, विद्वान् अधिवक्ता, वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त
2. श्री करणसिंह, विद्वान् अधिवक्ता, वास्ते परिवादी
3. श्री चैनसिंह गहलोत, विद्वान् लोक अभियोजक, वास्ते राज्य

:: **आदेश** :: **दिनांक : 08/06/2026**

1. प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी फयाजखां द्वारा पुलिस थाना–ओसियां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 130/2026, अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 324(5), 308(2), 308(5), 74, 125 भारतीय न्याय संहिता में दर्ज करवायी गयी थी, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा **482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** के अन्तर्गत **अग्रिम जमानत** का लाभ दिये जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर नकल जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान् लोक अभियोजक को दिलायी गयी। बहस जमानत दरख्वास्त सुनी गयी।

2. विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से बहस की गयी कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है। उक्त घटना से पूर्व परिवादी के परिवारजनों द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी, इस घटना में भी परिवादी द्वारा नियोजित कर अत्यधिक भीड के साथ परिवादी पर हमला करने की नीयत से वहां पर आकर गाड़ी रोकी, प्रार्थी ने मात्र अपने बचाव के प्रयास किए और वहां से भाग गया। प्रकरण में

सह अभियुक्तगण कंवराराम व बिरमाराम द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 185/2026, 199/2026 इस न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 27/05/2026, 05/06/2026 को स्वीकार किए जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला सह अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण के अनुसंधान में सहयोग करने के लिए तैयार है। लिहाजा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान् लोक अभियोजक तथा विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने उपरोक्त का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर बुशी दरगाह पर जा रहे परिवादी व उसके परिवारजन पर पत्थरों से हमला कर व लगिये से मारपीट कर उन्हें गंभीर प्रकृति की चोटें पहुंचाई। दौराने अनुसंधान मजरूब फरीदखां के शरीर पर आई चोट संख्या–1 को डॉक्टर द्वारा गंभीर प्रकृति की चोट होना माना है, जो प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(5) के तहत गंभीर अपराध का आरोप है। लिहाजा प्रार्थी/अभियुत का जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

3. उपरोक्त पर विचार किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 17/05/2026 को रात्रि करीब 11:15 बजे परिवादी व उसके परिवार के सदस्य बस नंबर आर.जे.21–पी.ए.–1953 को किराये पर लेकर ओसियां से बुशी दरगाह जाने के दौरान मेघवालो का बास में सरफराज उर्फ सफी, साबुदीन, गेपुखां, मीठालाल, बीरमाराम, कंवराराम, टकाराम, भूराराम निवासीगण ओसियां व तीन–चार अन्य व्यक्ति बस के आड़े फिरकर बस पर पत्थरों से हमला कर दिया। मारपीट से फरीदखां, अबरार, मुसलीम, आबीदखां, सिमरन, मजीदखां, शोकत, मदीना को चोटें पहुंचाई व सिमरन की सरफराज ने चुन्नी खींचकर फेंक दी व बीचबचाव करने गए परिवादी के पैर पर लगीये से वार कर इसकी जेब में से ओप्पो कम्पनी का फोन व पांच हजार रुपये छीनकर ले गया, वगैरा।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर दौराने अनुसंधान मजरूबान के लगी चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया गया, जिसके अनुसार मजरूब फरीदखां के शरीर पर लगी चोट संख्या–1 गम्भीर प्रकृति की पाई गई, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट के

अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित करना बताई गई है। पत्रावली पर अनुसंधान के दौरान एकत्रित की गयी साक्ष्य से प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी व मजरूबान के साथ मारपीट करने बाबत् सक्रिय रूप से संलिप्तता प्रकट हुई है। पुलिस ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि मुलजिम सफी उर्फ सरफराज ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 08/05/2026 को रात्रि करीब 11:15 बजे कस्बा ओसियां में मैन रोड पर बस नम्बर आर.जे.21–पी.ए.–1953 पर अंधाधुंध पथराव कर बस के कांच तोड़कर भारी नुकसान पहुंचाया व सवारियों के साथ मारपीट कर चोटें पहुंचाई। यद्यपि हस्तगत प्रकरण में सह अभियुक्तगण कंवराराम व बिरमाराम द्व ारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र (483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार किये जा चुके हैं, परन्तु उक्त जमानत प्रार्थना पत्र बाद गिरफ्तारी स्वीकार किए गए है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है, प्रार्थी/अभियुक्त को झूठे तौर पर आलिप्त किया गया हो, ऐसा केस डायरी के अवलोकन से प्रकट नहीं हुआ है। प्रकरण अभी अनुसंधानाधीन है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अभियुक्त की लिप्तता व अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सराफन उर्फ सरफराज जरिए विधिक संरक्षक दादा गेफू खान** की ओर से प्रस्तुत **अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र** अन्तर्गत धारा **482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(पूरण कुमार शर्मा)
सेशन न्यायाधीश
जोधपुर जिला

6. आदेश आज दिनांक 08/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पूरण कुमार शर्मा)
सेशन न्यायाधीश
जोधपुर जिला